न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
4/2024	9.1.2024	3.1.2025

लहरी पुत्र हरसहाय, कुम्हार नि0 गंगाजी की कोठी, गंगापुर सिटी –प्रार्थी

बनाम

1. बरफी पत्नी स्व0 सुरेश,कुम्हार नि0 गंगाजी की कोठी, गंगापुर सिटी
2. रामनरी पत्नी स्व0 रामराज,कुम्हार नि0 गंगाजी की कोठी, गंगापुर सिटी
3. अजय पुत्र स्व0 सुरेश, नाबालिग जरिए संरक्षक बरफी देवी निवासी गंगाजी की कोठी, गंगापुर सिटी
4. दिलखुश पुत्र स्व0 सुरेश, नाबालिग जरिए संरक्षक बरफी देवी निवासी गंगाजी की कोठी, गंगापुर सिटी
5. सीमा पुत्री स्व0 सुरेश, नाबालिग जरिए संरक्षक बरफी देवी निवासी गंगाजी की कोठी, गंगापुर सिटी
6. मोनिका पुत्री स्व0 रामराज, नाबालिग जरिए संरक्षक माता रामनरी निवासी गंगाजी की कोठी, गंगापुर सिटी
7. नोनिका पुत्री स्व0 रामराज, नाबालिग जरिए संरक्षक माता रामनरी निवासी गंगाजी की कोठी, गंगापुर सिटी
8. गौरव पुत्र स्व0 रामराज, नाबालिग जरिए संरक्षक माता रामनरी निवासी गंगाजी की कोठी, गंगापुर सिटी
9. लाली पुत्री स्व0 रामराज, नाबालिग जरिए संरक्षक माता रामनरी निवासी गंगाजी की कोठी, गंगापुर सिटी ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री मुकेश कुमावत, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
श्री अनिल कुमार गुप्ता, एड0, अप्रार्थी नं0 1,3,4,5 की ओर से
श्री मोहम्मद इस्लाम एड0, अप्रार्थी नं0 2,6,7,8,9 की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी एवं दावे में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 एक ही कुटुम्ब के व्यक्ति हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 सहखातेदार सुरेश व रामराज की पत्नी बरफी देवी व रामनरी है एवं दावे में वर्णित प्रतिवादी सं0 3, 4, 5 सहखातेदार सुरेश के वारिसान पुत्र व पुत्री हैं। सहखातेदार सुरेश की मृत्यु हो चुकी है इसीलिए दावे में वर्णित प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4, 5 सुरेश के स्थान पर सुरेश की भूमि पर काश्त करते चले आ रहे हैं इसलिए पक्षकार बनाया जा रहा है। इसी प्रकार दावे के प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु हो चुकी है एवं उसकी विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 एवं इसी तरह सहखातेदार क[illegible] की मृत्यु हो चुकी है, उसके स्थान पर उसके वारिसान दावे में वर्णित प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 8 उसके पुत्र लवकुश, अरविन्द, अभिषेक व दावे में वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:55:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

प्रतिवादी संख्या 9 कन्हैया की पत्नी लछमा देवी को पक्षकार बनाया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 2 रामराज की मृत्यु हो जाने से पत्नी रामनरी व प्रतिवादी संख्या 5, 6 लगायत 9 पुत्रियां है जो रामराज के हिस्से की भूमि में काश्त करते आ रहे हैं इसलिए पक्षकार बनाया है। ग्राम जाटबडौदा में भूमि खसरा नम्बर 890 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 891 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 892 रकबा 0.44 है0 कुल रकबा 1.26 है0 स्थित है जो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सहखातेदार हैं। उक्त भूमि को पक्षकारों ने मौके पर बाहमी तौर पर बांट रखा है एवं अपने अपने हिस्से पर काबिज हैं। प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि हिस्सा मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 891 रकबा 0.41 है0 स्थित ग्राम जाटबडौदा में उक्त खसरा नम्बर की डौल मेड की पक्की दीवार कर रखी है जिसका उपयोग उपभोग मौखिक सरस नरस के अनुसार काबिज काश्त करता चला आ रहा है जिसे नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित कर रखा है। दिनांक 4.8.2023 को प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से उक्त भूमि का विभाजन कराने को कहा जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने कहा कि आप और हमने मौखिक बंटवारा कर रखा है एवं उसी अनुसार हिस्से में आई भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे हैं एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने बंटवारा कराने से मना कर दिया। दिनांक 20.10.2023 को प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की भूमि को खरीद फरोख्त करने की हैसियत से दीगर व्यक्ति भूमि पर आए तो प्रार्थी के पूछने पर दीगर व्यक्ति ने बताया कि उन्हें अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने भेजा है। इस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी नं0 1 व 2 से कहा कि आप इस तरह अविभाजित भूमि का बेचान नहीं कर सकते हैं, पहले आप भूमि का बंटवारा करवाऐं, इस बात को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 नाराज हो गए व कहा कि हम तो ऐसे ही करेंगे, तुम्हें जो करना है वो करो। इस पर प्रार्थी को यह अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबंद फरमाया जावे कि वे ताफैसला दावा भूमि खसरा नम्बर 890 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 891 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 892 रकबा 0.44 है0 कुल रकबा 1.26 है0 स्थित ग्राम जाटबडौदा में प्रार्थी के हिस्से में आई भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत ना तो स्वयं पैदा करें ना ही किसी अन्य से करावें तथा प्रार्थी के हिस्से में आई भूमि पर अनावश्यक रूप से कब्जा नहीं करें तथा प्रार्थी के हिस्से में आई भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को रहन वय नहीं करें तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत ना तो स्वयं पैदा करें ना ही किसी अन्य से करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:55:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 5 ने अपने जबाब में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अस्वीकार करते हुए जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 5 भूमि खसरा नम्बर 890 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 891 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 892 रकबा 0.44 है0 कुल रकबा 1.26 है0 स्थित ग्राम जाटबडौदा में सहखातेदार हैं एवं मौके पर आपसी सहमती व रजामंदी से भूमि का सरस एवं नरस के अनुसार बंटवारा कर रखा है। जबाबदारान को अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि को अपने हिस्से के मुताबिक विक्रय करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है एवं जबाबदारान अपने हिस्से की भूमि को विधि के मुताबिक विक्रय करना चाहते है। इस कारण से प्रार्थी ने काल्पनिक व गलत तथ्यों के आधार पर दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है जो विधि के अनुसार पोषणीय नही होने के कारण खारिज होने योग्य है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र विधि के विपरीत होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2, 6 लगायत 9 की ओर से अस्थाई निषेंधाज्ञा प्रार्थना पत्र का कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 खाता संख्या 212 ग्राम जाट बडौदा, फोटोकॉपी नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये है।

अप्रार्थी न0 1, 3, 4, 5 ने अपने जबाब के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है।

बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्धान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि भूमि खसरा नम्बर 890 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 891 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 892 रकबा 0.44 है0 कुल रकबा 1.26 है0 स्थित ग्राम जाटबडौदा एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण भूमि का विक्रय विभाजन करवाये बिना भूमि का विक्रय करना चाहते हैं। प्रार्थी को इस तथ्य से संतुष्ट होकर न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2024 को वादग्रस्त भूमि की मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखने हेतु अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है। अतः इस आदेश को दावे के निर्णय तक कन्फर्म किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:55:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज०)

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के पति/पिता स्व0 सुरेश का 1/36 हिस्सा दर्ज है। जो जमाबंदी से भी स्पष्ट है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2, 6 लगायत 9 के पति/पिता रामराज का भी वादग्रस्त भूमि में 1/36 हिस्सा दर्ज है। जबाबदारान उनके नाम दर्ज हिस्से को बेचने के लिए स्वतंत्र है परन्तु प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर दावा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इंटरिम टी.आई प्राप्त की है। जो खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2071–74 के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। भूमि में प्रार्थी का 1/36 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 5 के पति/पिता सुरेश का 1/36 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 2, 6 लगायत 9 के पति/पिता रामराज का 1/36 हिस्सा दर्ज है। विधि अनुसार भूमि में दर्ज सहखातेदार उनके नाम दर्ज हिस्से का बेचान कर सकते है। प्रार्थी ने अपने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में इस तरह का कोई भी तथ्य अंकित नही किया है जिससे यह प्रतीत हो कि अप्रार्थीगण द्वारा उनके हिस्से की भूमि के विक्रय करने पर प्रार्थी का हित प्रभावित होता हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है एवं भूमि खसरा नम्बर 890 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 891 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 892 रकबा 0.44 है0 कुल रकबा 1.26 है0 स्थित ग्राम जाटबडौदा के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2024 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश निरस्त किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2025 को न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:55:34 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)